

अध्याय III: आधारभूत संरचना एवं आधुनिकीकरण

3.0 आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक उपकरणों के आगमन के कारण सेना के शस्त्रों एवं उपकरणों में कई सारे परिवर्तन आए। प्रौद्योगिकी संक्रमण के साथ तालमेल रखने के लिए यह ज़रूरी था कि, एबीडब्ल्यू आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कौशल उन्नयन करें।

3.1 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार न कर पाना

एबीडब्ल्यू की प्रक्रिया अनुसार, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय, मेरठ को 20 वर्षों की आवरित अवधि की एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना (पीपी) का बनाना अपेक्षित है। यह परिप्रेक्ष्य योजना, सेना में उपलब्ध सुविधाएँ, मानवशक्ति तथा शामिल होने वाले उपकरण या पहले ही शामिल उपकरणों को ध्यान में रखते हुए एबीडब्ल्यू में योजना के लिए आधार मूल होती है। परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, एबीडब्ल्यू को, आधुनिक प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करते हुए तथा पुरानी मशीनरी के समयोपरि बदलाव के लिए आधुनिकीकरण योजना बनाना अपेक्षित है।

हमने देखा कि, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। दीर्घकालीन योजना की कमी के कारण ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में धीमी गति आई जिससे कि महत्वपूर्ण उपकरणों के ओवरहाल में बकलॉग आते गए जिसकी चर्चा पैराग्राफ 3.2.1 तथा 3.2.2 में की गई है।

उत्तर में, डीजीईएमई ने बताया (मई 2016) कि, 15 वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना को अक्टूबर 2010 में लागू की गई थी, तथापि, शस्त्र प्रणालियों के शामिल होने एवं उनके बनाए रखने में बदलाव को महसूस करते हुए 15 वर्षों की एक नई परिप्रेक्ष्य योजना का प्रस्ताव एमजीओ को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यह उत्तर अक्टूबर 2015 में लेखापरीक्षा को दी गई प्रतिक्रिया के प्रतिकूल है, जहाँ बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने बताया था कि, सिर्फ पाँच वर्षों का मरम्मत कार्यक्रम बनाया गया था।

3.2 ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में असामान्य विलम्ब

हमने ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति तथा नए उपकरण के शामिल होने में समक्रमिकता की कमी को देखा। एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2 के मामले में, सेवा से उपकरण को निकाले जाने के समय सुविधा का निर्माण किया गया था जबकि एआरवी वीटी-72 बी के लिए सुविधा की निर्मिति में उसके शामिल होने के 20 वर्षों तक का विलंब हुआ। हाँलाकि, 2020-21 से एमबीटी अर्जुन तथा 2018-19 से टैंक टी-90 ओवरहाल के लिए देय हैं, फिर भी ओवरहाल के लिए एजन्सी का नामित किया जाना अभी बाकी है। ऐसे मामलों के ब्योरों को नीचे तालिका-23 में दर्शाया गया है:

तालिका 23: ओवरहाल सुविधाओं की स्थिति

उपकरण	उपकरण शामिल होने का वर्ष	ओवरहाल के लिए देय	ओवरहाल की निर्मिति का वर्ष	अभ्युक्तियाँ
एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2	1981-1988	1996-97	2009 में निर्मित	उपकरण प्रबंधन नीति के अनुसार, उपकरण के हटाए जाने की अवधि से तीन वर्ष पूर्व ही इस सुविधा का निर्माण किया गया था।
एआरवी वी टी 72 बी	1994-2003	2009-10	अभी निर्मित नहीं की गई है।	ओवरहाल सुविधा के लिए डीपीआर को तैयार करने के लिए परामर्श-कारार को पूरा किया गया है तथा उसे मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
एआरवी डब्ल्यूझेडटी-3	2001-2007	2016-17	अभी निर्मित नहीं की गई है।	
टैंक टी-90	2002	2018 -19	अभी निर्मित नहीं की गई है।	-
एमबीटी अर्जुन	2004	2020 -21	अभी निर्मित नहीं की गई है।	-

3.2.1 उपकरण को हटाए जाने की प्रक्रिया समाप्त होने के दो वर्ष पूर्व ओवरहाल सुविधा की निर्मिती के कारण ₹ 73.43 करोड़ का निष्फल व्यय

1981-82 से 1987-88 के दौरान शामिल हुए एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2(टैंक टी-55 के लिए)आर्मर्ड रिकवरी वाहन के लिए मरम्मत तकनीकी/सुविधाओं की कमी का उल्लेख वर्ष 2005 की रिपोर्ट संख्या 06 के अनुच्छेद 3.1.5 में किया गया था। अपनी कार्रवाई की गई नोट में मंत्रालय ने (नवम्बर 2006) में बताया कि, एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 की एक्स पोलेण्ड ओवरहाल सुविधा के स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 1998 से प्रगति पथ पर था तथा उपकरण का ओवरहाल 2006-07 से सूचिबद्ध था। आश्वासन के होते हुए भी हमने देखा कि, ₹ 73.43 करोड़ की लागत से उपकरणों के ओवरहाल के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित आवश्यक प्लांट, मशीनरी तथा पुर्जों की अधिप्राप्ति के पश्चात अगस्त 2009 तक मात्र दो एआरवी का पायलट ओवरहाल पूरा किया गया था।

पायलट ओवरहाल को पूरा करने के बाद, मार्च 2016 तक 512 एबीडब्ल्यू ने कुल 222 एआरवी में से सिर्फ 22 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 का ओवरहाल किया जो ओवरहाल की मंदगति को सांकेतिक करता है। अपनी निर्धारित आयु के दौरान शेष किसी भी वाहन का ओवरहाल नहीं किया जा सका क्योंकि, एआरवी डब्ल्यूजेड टी-2 टैंक को टी-55 के साथ 2018 तक निकाले जाने की संभावना थी।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल का मामला 512 एबीडब्ल्यू द्वारा 1998 में शुरू किया गया था परंतु, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2007 में इसकी संस्वीकृति दी गई थी। यह भी बताया गया कि, 2019-20 वर्ष तक शेष फ्लीट का ओवरहाल पूरा हो जाएगा।

इस उत्तर के बावजूद, तथ्य यह है कि, नीति अनुसार एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 के लिए ओवरहाल सुविधा की निर्मिती उपकरण के हटाए जाने की देय अवधि की शुरुआत के दो वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस प्रकार, ₹ 73.43 करोड़ की लागत से सुविधाओं की निर्मिती करना त्रुटिपूर्ण नियोजन था और व्यय निष्फल हो गया क्योंकि, ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिती के करार को जब तक पूरा किया गया तब तक उपकरण की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी।

3.2.2 एआरवी वी टी -72 बी तथा डब्ल्यूजेड टी-3 के लिए ओवरहाल सुविधाओं का निर्माण न होना

एआरवी वीटी-72 बी, टैंक टी-72 का एक रिकवरी वाहन है। मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से कुल 156 एआरवी की अधिप्राप्ति की गई एवं 1994-2003 की अवधि के दौरान इनको सेना में शामिल किया गया। अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों के अनुसार, 2001 तक शामिल किए गए 129 वाहन 2010-15 के दौरान ओवरहाल के लिए देय हो गए थे।

हमने देखा कि, वाहन के शामिल होने के 20 वर्षों के बाद भी, कोई भी ओवरहाल सुविधा का निर्माण नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 भारतीय सेना में मौजूद टी-72 का एक नवीनतम प्रौद्योगिकी का रिकवरी वाहन है। वर्ष 2001-07 के दौरान, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के द्वारा 352 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 को सेना में शामिल किया गया था। यह उपकरण 2016-17 के बाद से ओवरहाल के लिए देय थे। तथापि, इनके ओवरहाल के लिए सुविधा की निर्मिती अभी भी नहीं की गई थी।

जैसा कि एमजीओ द्वारा बताया गया, वर्ष 2001-03 के दौरान चेकोस्लोवाकिया (ओईएम देश) में भू-राजनैतिक परिवर्तनों के कारण, ना तो ओईएम और ना ही कोई अन्य कंपनी एआरवी वीटी-72 बी के ओवरहाल के लिए तैयार/सक्षम थी। एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 के मामले में, हालाँकि बीईएमएल ने 1999 में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टीओटी) के लिए ओईएम अर्थात् मेसर्स बूमर, पोलंड के साथ करार किया था,

परंतु रख-रखाव के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं लिया था और इसीलिए ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना स्थापित नहीं कर सका। वर्ष 2010 में जब ओईएम (सेनडिन, एक पोलिश फर्म) ने दोनों एआरवी के लिए ओवरहाल सुविधा स्थापित करने की इच्छा जताई, तब नवम्बर 2011 में 512 एबीडब्ल्यू में एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3 के ओवरहाल सुविधा को बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी करने हेतु प्रस्ताव की माँग (आरएफपी) को जारी किया गया। इसके फलस्वरूप, रक्षा मंत्रालय ने, सितम्बर 2013 में ₹ 8.36 करोड़ (यूएस \$ 1,356,202) की लागत पर ओवरहाल सुविधा स्थापित करने हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए ओईएम के साथ परामर्श करार संपन्न किया। इस फर्म ने जून 2015 में डीपीआर प्रस्तुत किया, जो सेना मुख्यालय में विचाराधीन (मार्च 2016) था।

इस प्रकार, एआरवी वीटी-72 बी के शामिल होने के 20 वर्षों तथा एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3 के 15 वर्षों के पश्चात् भी कोई भी ओवरहाल सुविधा का निर्माण नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, 35 प्रतिशत एआरवी वीटी-72 बी फील्ड सेना में क्रिटिकल पुर्जों के अभाव के कारण ऑफ-रोड तथा अकार्यात्मक थे तथा बकाया फ्लीट की मिशन विश्वसनीयता 50 प्रतिशत ही थी। इसके अलावा 2016-17 के बाद ओवरहाल के लिए देय एआरवी डब्ल्यूझेडटी-3 को तब तक ओवरहाल नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ओवरहाल की सुविधा का निर्माण नहीं किया जाता।

3.2.3 टैंक टी-90 के लिए घटक स्तरीय मरम्मत(सीएलआर) हेतु आधारभूत संरचना की निर्मिती में विलंब

फरवरी 2001 में ओईएम अर्थात् मेसर्स रोज़ोबोरोनएक्सपोर्ट (आरओई) के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के माध्यम से रुस से कुल 310 टी-90 टैंकों को प्रारंभिक रूप में आयात किया गया और 2001-05 के दौरान उन्हें सेना में शामिल किया गया। अनुबंध को अंतिम रूप देते समय उपकरण के रखरखाव के कुछ पहलुओं को औपचारिक रूप नहीं दिया जा सका। परिणामस्वरूप सितम्बर 2000 में एक संलेख हस्ताक्षरित किया गया जिसमें, ओईएम ने इस बात की पुष्टि की, कि टी-90 के घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) के लिए तकनीकी दस्तावेजों को उनके द्वारा एक अन्य अनुबंध के द्वारा दिया जाएगा, जिसका मोलभाव टैंकों के आयात के लिए मुख्य अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के छह महीने बाद में किया जाएगा। अतः अगस्त 2001 में सीएलआर के लिए बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी।

तथापि, हमने देखा कि, घटक स्तरीय मरम्मत का मामला 2004 में ही प्रारंभ किया गया और ₹ 287 करोड़ के अनुमानित लागत पर अगस्त 2006 में रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई। मामले की प्रक्रिया में और भी देरी हुई और अक्टूबर 2017 की पीडीसी के साथ ₹ 1896 करोड़ की कुल लागत पर सितम्बर 2014 में, ओईएम के साथ अनुबंध पूरा किया गया।

हमने पाया कि, टी-90 का पहला मीडियम रिपेयर(एमआर) 2011-12 में देय हो गया था तथा विभिन्न एसेम्बलियों की कमी के कारण 75 टैंक ऑफ रोड थे। उत्तर में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, 2001 के अनुबंध में रुसी फर्म द्वारा सीएलआर के लिए प्रस्ताव पेश करने की तिथि को नहीं दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप सीएलआर परियोजना के प्रारंभ होने में विलंब तथा लागत में बढ़ोत्तरी हुई। मरम्मत के लिए रखी गई अनुपयोगी एसेम्बलियों के संबंध में, यह बताया गया कि, 310 मीडियम रिपेयर किट्स की अधिप्राप्ति का मामला रक्षा मंत्रालय में प्रगति पथ पर था। मरम्मत कार्य पुर्जों की उपलब्धता, जो अक्टूबर 2016 से निर्धारित है, पर प्रारंभ होगा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सितम्बर 2000 में हस्ताक्षरित किए गए संलेख में मुख्य अनुबंध के हस्ताक्षरित होने के छह महीने पश्चात् में ईएसपी के लिए अलग अनुबंध किए जाने का प्रावधान था। सीएलआर के अनुबंध को अंतिम रूप देने में हुए असामान्य विलंब का परिणाम न सिर्फ लागत में अत्यधिक बढ़ोत्तरी में हुआ बल्कि, अनुपयोगी उपकरणों को धारण करने के कारण सेना की सामरिक सुसज्जता भी प्रभावित हुई।

3.2.4 एमबीटी अर्जुन की मरम्मत/ओवरहाल के लिए सुविधाओं की कमी

एमबीटी अर्जुन को लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (सीवीआरडीई) द्वारा विकसित किया गया था और इसका निर्माण एचवीएफ, आवडी में किया गया था। 2004-05 के बाद से सेना में 124 टैंकों को शामिल किया गया था। यह टैंक 2020-21 से ओवरहाल के लिए देय है। इन्हें शामिल करने के समय, 69 प्रतिशत घटकों का आयात किया गया था। यह दो एजन्सीज़ (सीवीआरडीई तथा एचवीएफ) स्वदेशीकरण या आयात के द्वारा फ्लीट के जीवनचक्र के दौरान उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक घटकों का प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी थीं। तथापि, सीवीआरडीई द्वारा आवश्यक घटकों का स्वदेशीकरण करने में असफल रहने के कारण, एचवीएफ किसी भी पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पाया। पुर्जों की सहायता न मिलने के कारण एमबीटी अर्जुन 2013 के बाद परिचालित नहीं किया जा रहा था। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में डीआरडीओ को निर्देश दिए कि, वह 90% प्रचालन क्षमता के साथ 20 टैंक को अगस्त 2015 तक तैयार करें तथा इसके लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति को अर्जुन टैंक को दीर्घ कालावधि के लिए परिचालित रखने हेतु एक एसओपी बनाने के लिए भी निर्देश दिए।

उपरोक्त बातों की विद्यमान स्थिति के संबंध में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल के लिए एचवीएफ, आवडी के नामांकन का प्रस्ताव अक्टूबर 2015 में रक्षा मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया था।

3.3 मंजूरी के तेरह वर्षों के पश्चात भी ट्यूलिप परियोजना का अकार्यान्वयन

जनवरी 2003 में रक्षा मंत्रालय ने रु. 22.54 करोड़ की लागत पर बीएमपी II/IIके हेतु संचार तथा नाइट विजन संयंत्रों की मरम्मत/ओवरहाल के लिए न्यूक्लियस के रूप में 512 एबीडब्ल्यू में अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने के लिए ट्यूलिप परियोजना को संस्वीकृत किया था। इस संस्वीकृति में ₹ 19.64 करोड़ लागत पर 246 प्लांट, मशीनरी तथा विशेष उपकरण(पीएमएसई)की अधिप्राप्ति भी शामिल थी। ₹ 19.64 करोड़ के उपकरण की संस्वीकृत लागत में संचार तथा रात्री दृष्टि संयंत्रों की लागत क्रमशः ₹ 2.32 करोड़ तथा ₹ 8.34 करोड़ थी।

हमने देखा कि, इस परियोजना को समापन की संभावित तिथि (पीडीसी) के बिना संस्वीकृत किया गया था। इसके अलावा पीएमएसई की स्थानीय खरीद तथा रख रखाव के लिए फरवरी 2006 तक 512 एबीडब्ल्यू के कमांडेंट को परियोजना विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए गए थे। वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के पश्चात 512 एबीडब्ल्यू के कमांडेंट ने नवंबर 2015 तक ₹ 3.85 करोड़ राशि के 166 पीएमएसई की अधिप्राप्ति की। अन्य पीएमएसई, लागत बढ़ोतरी के कारण अधिप्राप्त नहीं किए जा सके। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पता चला कि परियोजना की संस्वीकृत लागत के भीतर अधिप्राप्ति को रखने के लिए डीजीईएमई ने मूलतः संस्वीकृत 48 पीएमएसई का विलोपन तथा ₹ 5.99 करोड़ की बढ़ी हुई लागत पर 32 पीएमएसई की अधिप्राप्ति का अनुमोदन जुलाई 2015 में दिया। निकाली गई पीएमएसई (मूलतया ₹ 9.08 करोड़ की संस्वीकृत लागत) में कॉलिमेटर्स भी शामिल थे जो कि विजन संयंत्रों के ओवरहाल के लिए आवश्यक होते हैं।

उत्तर में, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने बताया (सितंबर 2015) कि, कॉलिमेटर्स की तकनीकी विशिष्टताएँ वर्कशॉपों द्वारा विभिन्न एजन्सीज़ को मिलने पर भी फलीभूत नहीं हो पायी। अब विजन संयंत्रों के ओवरहाल का कार्य ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फॅक्टरी (ओएलएफ) देहरादून द्वारा किया जा रहा था क्योंकि, उन्होंने बीएमपी के विजन संयंत्रों की संपूर्ण आवश्यकता के साथ ओवरहाल की जिम्मेवारी को स्वीकार किया था। एमजीओ (मई 2016) ने स्वीकार किया कि, ओवरहाल के लिए आवश्यक सभी पीएमएसई को अभी तक अधिप्राप्त नहीं किया गया है।

3.4 ₹6.53 करोड़ मूल्य की प्रूफ फायरिंग सुविधा का उपयोग न किया जाना तथा प्रूफ फायरिंग के बगैर युनिटों को ओवरहाल किए गए बीएमपी का जारी किया जाना

बीएमपी II का 512 एबीडब्ल्यू द्वारा 2004 से ओवरहाल किया जा रहा था। गुणवत्ता आश्वासन एजन्सी (डीजी क्यूए)के अनुसार, ओवरहाल किए गए आयुध की अति महत्वपूर्ण गुणवत्ता जाँच, समायोजन फायरिंग है जो 30 एमएम कॅनन गन तथा 7.62 एमएम को-एक्सियल मशीन गन के फायरिंग के द्वारा की जानी होती है। चूँकि एबीडब्ल्यू के पास यह सुविधा नहीं थी, इसलिए 2008 में प्रूफ फायरिंग के लिए एक विशेष कार्य प्रस्तावित किया गया।

हालाँकि, प्रूफ फायरिंग की सुविधा के लिए चयन की गई जगह दूरस्त क्षेत्र में थी और विद्युत और जल के लिए एमईएस सेवाएँ वहाँ उपलब्ध नहीं थी अपितु इन आवश्यक सेवाओं का प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन में नहीं था। परिणामस्वरूप ₹ 6.53 करोड़ की लागत पर नवम्बर 2013 में निर्मित इस सुविधा में विद्युत तथा जल का कनेक्शन नहीं था और इसीलिए एबीडब्ल्यू द्वारा इसे नहीं लिया जा सका (मार्च 2016)। अब इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए एक अलग प्रस्ताव की शुरुआत (जुलाई 2015) की गई थी तथा यह प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार, ओवरहाल किए गए बीएमपी- II/ IIके को टेस्ट फायरिंग किए बगैर ही युनिटों तथा फार्मेशनों को भेजा जाना जारी रहा। इसके फलस्वरूप, 30 एमएम गन की बैरल स्प्रिंग ऐसम्बलिज़ में त्रुटियाँ/विफलताएँ युनिट/फार्मेशन द्वारा सूचित की गई। इन त्रुटियों की जाँच के दौरान, डीजीक्यूए ने 512 एबीडब्ल्यू द्वारा ओवरहाल की गई गनों के 20 मामलों में त्रुटियों पायी (फरवरी 2014)। उन्होंने यह भी बताया कि, आयुध फैक्टरी के द्वारा ओवरहाल की गई गनों में जहाँ पर यह टेस्ट किए जाते थे, ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया।

उत्तर में, एमजीओ ने यह स्वीकार किया (मई 2016) कि, हालाँकि अप्रैल 2014 में 512 एबीडब्ल्यू को प्रूफ फायरिंग सुविधा सौंपी गई थी, पर उसे विद्युत तथा जल आपूर्ति के अभाव में उपयोग में नहीं लाया जा सका। आगे यह भी कहा गया कि, कॉलिजिएट, जो बैरल स्प्रिंग की असफलता के मुद्दे का समाधान करने के लिए आयोजित किया गया था, ने प्रूफ फायरिंग की कमी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया।

3.5 एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण में विलंब

11 वीं सेना योजना(2007-2012) के अनुसार, सभी 8 एबीडब्ल्यू का आधुनिकीकरण किया जाना था। इन एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को इसलिए महसूस किया गया था क्योंकि, तकनीकी तथा प्रशासनिक आधारभूत संरचना जिसमें, प्लांट तथा मशीनरी शामिल थे, का बहुत बड़ा भाग बहुत ही पुरातन था और अपनी आयु उपयोगिता की समाप्ति की कगार पर था तथा नई शामिल की गई अत्याधुनिक शस्त्र पद्धतियों तथा उपकरण को बनाए रखने में तकनीकी रूप से अपर्याप्त तथा पुरातन थी। पाँच चयनित एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण प्रस्तावों की लागत ₹ 1781.44 करोड़ थी जैसा कि नीचे तालिका-24 में निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 24: आधुनिकीकरण प्रस्तावों की लागत

एबीडब्ल्यू का नाम	प्रस्ताव का मूल्य(₹ करोड़ में)
505 एबीडब्ल्यू	200.00
509 एबीडब्ल्यू	458.34
510 एबीडब्ल्यू	381.01
512 एबीडब्ल्यू	636.65
515 एबीडब्ल्यू	105.44
कुल	1718.44

एबीडब्ल्यू के प्रस्तावों को एमजीओ द्वारा स्वीकार किया गया तथा इन पाँच एबीडब्ल्यू के विषय में डीपीआर की तैयारी हेतु मार्च 2010 तथा दिसंबर 2012 के बीच ₹ 6.51 करोड़ की लागत पर परामर्श अनुबंध को रक्षा मंत्रालय (सेना) के आयएचक्यू द्वारा समाप्त किया गया था। तथापि, 505 तथा 510 एबीडब्ल्यू का जून 2014 और 512 एबीडब्ल्यू का जून 2015 में ही डीपीआर पूरा हो पाया। शेष दो एबीडब्ल्यू के लिए डीपीआर परामर्शकर्ताओं द्वारा सितम्बर 2016 में ही दिए गए।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, अत्यधिक आवश्यक आधुनिकीकरण ने अपनी गति प्राप्त की है तथा 2021-22 तक पूरा होने की संभावना है।

3.6 अनुमोदित वरीयता अधिप्राप्ति योजना (पीपीपी) में समाविष्ट पीएमएसई की अधिप्राप्ति का अप्रभावपूर्ण कार्यान्वयन

नई उपकरण रूपरेखा तथा पुरातन मशीनरी के प्रतिस्थापन की वजह से उभरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मरम्मत/ओवरहाल प्रकार्यों के लिए पीएमएसई की अधिप्राप्ति के लिए एबीडब्ल्यू प्रस्तावों की शुरुआत करते हैं। एबीडब्ल्यू द्वारा प्रक्षेपित पीएमएसई को वरीयता अधिप्राप्ति योजना (पीपीपी) में समाविष्ट किया जाता है। हमने पाया कि, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 196.09 करोड़ मूल्य के कुल 226 पीएमएसई पीपीपी में समाविष्ट करने के लिए एमजीओ द्वारा अनुमोदित किए गए थे। तथापि, इस अवधि के दौरान पूँजी तथा राजस्व शीर्षों के अधीन कुल आबंटन मात्र ₹ 6.20 करोड़ ही था। इससे यह सांकेतिक होता है कि, पीएमएसई की अधिप्राप्ति के लिए निधि का आबंटन अनुमोदित पीपीपी में समाविष्ट पीएमएसई के मूल्य के अनुरूप नहीं था। हमने यह भी देखा कि, आबंटित निधि में से मात्र ₹ 2.35 करोड़ अर्थात् 38 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया। 226 में से 192 पीएमएसई लेखापरीक्षा में चयनित पाँच एबीडब्ल्यू से संबंधित थे जिनमें से मात्र 31 पीएमएसई को ही अधिप्राप्त किया गया था।

पीएमएसई की अप्राप्ति पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, डीजीईएमई ने बताया (अगस्त 2015) कि, पीएमएसई की अप्राप्ति एबीडब्ल्यू की कार्यक्षमता पर प्रभाव डाल सकती है क्योंकि पुराने पीएमएसई, जिनको पीपीपी के तहत बदलने की माँग की गई थी, के सहारे ओवरहाल का कार्य किया जा रहा था।

एमजीओ ने यह भी बताया (मई 2016) कि, निधि का आबंटन पर्याप्त था और मामलों की प्रगति के अनुसार किया गया था। वास्तविक आबंटन तभी माँगा जाता है जब मामले वित्तीय सहमति स्तर पर पहुँच जाते हैं। यह भी कहा गया था कि, सभी मामले जो पीपीपी में सूचिबद्ध थे, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिप्राप्त किए जाएँगे।

3.6.1 निस्सारी उपचार संयंत्र (ईटीपी) का गैर-प्रतिस्थापन

512 एबीडब्ल्यू ने मौजूदा ईटीपी, जिसकी उपयोगी आयु समाप्त हो चुकी थी, को बदलने के लिए नई ईटीपी की अधिप्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव (अप्रैल 2012) की शुरुआत की। एबीडब्ल्यू जोखिम भरे निस्सारी तथा रसायनों को संभालता है जो, प्रक्रिया के दौरान जमा होता रहता है। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उसे नालियों में छोड़ने से पहले निष्प्रभाव भी किया जाना आवश्यक है। हमने देखा कि, हालाँकि ईटीपी के प्रतिस्थापन को वर्ष 2009-10 के वरीयता अधिप्राप्ति प्लान (पीपीपी) में समावेश किया गया था, परंतु इसकी अधिप्राप्ति अभी भी (मार्च 2016) की जानी बाकी थी। यह भी देखा गया है कि, निस्सारी कार्य हाथों से किया जा रहा था जो कि, बहुत ही असुरक्षित तथा अक्षम अभ्यास है। इस औद्योगिकीय मल का रिसाव नालियों में किया जाता था।

उत्तर में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ईटीपी को अधिप्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि, इसकी विशिष्टताएँ तथा विक्रेताओं द्वारा दिए गए बजटीय दाम में भिन्नता थी तथा इसलिए तय नहीं किए जा सके। आगे यह भी कहा गया कि, वित्तीय अधिकारों के नए प्रत्यायोजन के जारी होने के पश्चात, 2016-17 के राजस्व अधिप्राप्ति योजना में इसे शामिल किया गया था और इसकी अधिप्राप्ति वर्ष 2016-17 में की जा सकेगी। इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि, 2009-10 के पीपीपी में अधिप्राप्ति प्रस्ताव में समावेश होने के बावजूद, ईटीपी की विशिष्टताओं को अभी भी तय किया जाना बाकी था।

निष्कर्ष

नए शामिल किए गए उपकरणों के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु तथा वर्कशॉप के आधुनिकीकरण के लिए कोई दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी। उपकरण के शामिल होने के समय आधारभूत संरचना को बनाने की योजना में विफलता ने ऐसी परिस्थिति कर दी कि, सुविधाओं की निर्मिती असामान्य देरी से की गई, जिसकी वजह से देरी से किए जाने वाले ओवरहालने न सिर्फ सामरिक सुसज्जता को प्रभावित किया बल्कि किए गए व्यय को भी निष्फल कर दिया।

नए शामिल की गई अत्याधुनिक शस्त्र पद्धति तथा उपकरणों को बनाए रखने के लिए एबीडब्ल्यू के वर्तमान प्लान्ट तथा मशीनरी तकनीकी रूप से अपर्याप्त तथा पुरानी थी। एबीडब्ल्यू में आधारभूत संरचना के उन्नयन संबंधी आधुनिकीकरण के प्रस्ताव लंबित थे तथा कुछ मामलों में जहाँ वे मंजूर हुए वहाँ या तो निधियों की कमी या निधियों के अप्रयुक्ति के कारण अधिप्राप्ति प्रभावी नहीं रहीं।

सिफारिशें

1. नामित एबीडब्ल्यू में योजना तथा आधुनिकीकरण प्रकार्यों की सुविधा के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उपकरण के ओवरहाल के लिए देय होने के समय तक ओवरहाल सुविधा तैयार की जा सके।
2. उपकरण के शामिल होने के समय ही मरम्मत/ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिती को योजनाबद्ध तथा करारबद्ध किया जाना चाहिए ताकि समय पर उसका लाभ उठाया जा सके और उपकरण के संपूर्ण आयु चक्र के दौरान सुविधा को उपयोग में लाया जा सके।
3. दृष्टि संयंत्रों का ओवरहाल अब ऑप्टो-इलेक्ट्रानिक्स फॅक्टरी (ओएलएफ), देहरादून में किया जा रहा है क्योंकि, बीएमपी के दृष्टि संयंत्रों के संपूर्ण आवश्यक घटकों के ओवरहाल की जिम्मेवारी को उन्होंने स्वीकार किया था। इस विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय 512 में अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना हेतु ट्यूलिप परियोजना की व्याप्ति तथा क्रियान्वयन की संवीक्षा कर सकती है।
4. वर्तमान में उपयोग में लायी जा रही पुरानी पीएमएसई के कारण उत्पन्न समस्याओं से उभरने के लिए तथा नई पीढी की शस्त्र पद्धतियों को बनाए रखने के लिए एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण के लिए सेना मुख्यालय द्वारा एक समयबद्ध कार्यवाई योजना को बनाया जाना चाहिए।
5. टी-90 टैंक की मरम्मत सुविधा को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय को घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) परियोजना को शीघ्रता से लाना चाहिए।
6. जैसा कि 2020-21 से एमबीटी अर्जुन ओवरहाल के लिए देय हैं तो, मंत्रालय को एमबीटी अर्जुन के घटकों के स्वदेशी विकास तथा मरम्मत और ओवरहाल सुविधाओं के बारे में गौर करना चाहिए और उसमें तेजी भी लानी चाहिए।
7. सेना मुख्यालय को 512 एबीडब्ल्यू में शूटिंग गॅलरी के प्रचालन एवं ओवरहाल की गई गन की टेस्ट फायरिंग के लिए गोलाबारूद के आवश्यक प्राधिकरण में शीघ्रता लानी चाहिए।